



महलियों के वरिदध घरेलू हसिया

॥



# महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को संदर्भित करती है, जाहे वह घर, परिवार या घरेलू इकाई की सीमा के भीतर शारीरिक, भावनात्मक, यौन या आर्थिक हो।



## राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS), 2019-2021

- ④ 29.3% विवाहित महिलाओं ने घरेलू/यौन हिंसा का अनुभव किया
- ④ 3.1% गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा
- ④ 87% विवाहित महिलाओं, जो वैवाहिक हिंसा की शिकार हुईं, ने मदद नहीं मांगी
- ④ 32% विवाहित महिलाओं ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया

भारत में कानूनी ढाँचे	
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ इसमें शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक शोषण शामिल है</li> <li>■ सुरक्षा, निवास और अनुतोष हेतु विभिन्न आदेश प्रदान करता है</li> </ul>
भारतीय दंड संहिता, 1860	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ धारा 498A पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा की गई कूरता से संबंधित है</li> <li>■ कूरता, उत्पीड़न या यातना के कृत्यों को अपराध घोषित करता है</li> </ul>
दहेज निषेध अधिनियम, 1961	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ यह दहेज देने या दहेज लेने को अपराध घोषित करता है</li> </ul>
दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ घरेलू हिंसा के मामलों में यौन उत्पीड़न से संबंधित नए अपराधों को शामिल करने के लिये IPC की धारा 354A में संशोधन किया गया।</li> </ul>
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है और घरेलू हिंसा से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है</li> </ul>
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ बाल विवाह को रोकना और बाल वधू के विरुद्ध घरेलू हिंसा को रोकना।</li> </ul>

## वैशिक पहलें

- ④ महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर केंद्रित 'संधि' (CEDAW): वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया
  - ④ जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना
- ④ महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (DEVAW): महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को स्पष्ट रूप से संबोधित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय उपकरण
  - ④ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है

- ④ सुरक्षित शहर और सुरक्षित सार्वजनिक स्थान: संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम
  - ④ सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न एवं हिंसा के अन्य रूपों को रोकना और उन पर प्रतिक्रिया देना
- ④ बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (1995): हिंसा को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिये सरकारों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाइयों की पहचान करता है
- ④ SDG 5 (लैंगिक समानता): प्रत्येक स्थान पर सभी महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/domestic-violence-against-women-1>

